न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:–पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –33/2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025/44

1. श्रीमती समोल पत्नि स्व0 राधेश्याम जाति बंजारा निवासिनी ग्राम ढाणी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. प्रवीण आत्मज स्व0 राधेश्याम बंजारा निवासी ग्राम ढाणी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमती कैलाशी बाई पत्नि हरजीलाल बंजारा निवासिनी ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान
2. सन्जु बाई पत्नि धनराज बंजारा निवासी ढाणी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. काली बाई पत्नि लक्ष्मण बंजारा निवासिनी ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान
4. दिव्या पुत्री राधेश्याम निवासी ग्राम ढाणी कसार जिला कोटा
5. अनिल आत्मज राधेश्याम बंजारा निवासी ग्राम ढाणी कसार जिला कोटा
6. गोविन्द वल्द राधेश्याम बंजारा निवासी ग्राम ढाणी कसार
7. सावित्री पत्नि राधेश्याम बंजारा निवासी ढाणी कसार जिला कोटा
8. द्वारका बाई पत्नि रामपाल बंजारा निवासी ढाणी कसार जिला कोटा
9. अंजली पुत्री राधेश्याम बंजारा ढाणी कसार जिला कोटा
10. नीलू पुत्री राधेश्याम बंजारा
11. रवीना पुत्री राधेश्याम बंजारा ग्राम ढाणी कसार
12. नताशा पुत्री राधेश्याम जरिये वली माता श्रीमती समोला बाई बंजारा ढाणी कसार जिला कोटा
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 2122 दिनांक 04.02.2025 न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना

उस्थिति
1. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्र कुमार अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1 से 3 व 8 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 09.07.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कसार में खाता संख्या 378 की खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.52 हे0 एवं खाता संख्या 387 की किता–2 की रकबा 0.78 हे0 भूमि शिवजीराम उर्फ श्योजी पुत्र अमरा के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी । खातेदार शिवजीराम के फोत होने पर न्यायालय आदेश से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2122 दिनांक 3.2.2025 से खातेदार के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया ।
2. उक्त नामान्तरकरण संख्या 2122 आदेश दिनांक 3.2.2025 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट कम 1 के ससुर व अपीलान्ट कम 2 के

दादा श्योजी उर्फ शिवजी उपरोक्त स्वअर्जित आराजीयात के खातेदार, काबिज थे, उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 28.12.2018 को एक पंजीकृत वसीयत अपीलान्ट अपीलान्ट के पक्ष में आलेखित की थी, चूंकि खातेदार श्योजी उर्फ शिवजी का देहान्त दिनांक 5.2.2019 को हो चुका है तब से ही वसीयत के आधार पर अपीलान्ट उक्त आराजी के एकमात्र मालिक व काबिज है । पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में इन्तकाल खुलवाने हेतु दिनांक 29.7.2024 को आवेदन जिला कलक्टर कोटा को दिया, उसके बाद तहसीलदार लाडपुरा को प्रार्थना पत्र दिया तथा विधिक नोटिस जिला कलक्टर, कोटा, तहसीलदार लाडपुरा, नायब तहसीलदार मण्डाना को पंजीकृत डाक से दिनांक 9.1.2024 को भिजवाये गये, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ओर रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 13 के बदयान्ती आ जाने से राजस्व अधिकारियों से मिलकर दिनांक 4.2.2025 को इन्तकाल संख्या 2122 अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जो निरस्त योग्य होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 व 8 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार का वकालतनामा पेश हुआ । शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । वकील अपीलान्ट एवं उपस्थित रेस्पोडेन्ट की ओर से अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कसार हल्का पटवार मण्डाना में नया खाता संख्या 387 पुराना 344 की खसरा नं0 1087 की 0.69 हे0, खसरा नं0 1082 की 0.09 हे0, गे0मु0 चार दो किता की 0.78 हे0 आराजी स्थित है, इसके अलावा नया खाता संख्या 378 पुराना खाता संख्या 335 खसरा नं0 1090 की 0.52 हे0 आराजी स्थित है । उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलान्ट कम 1 के ससुर एवं अपीलान्ट कम 2 के दादाजी श्री श्योजी उर्फ शिवजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्वअर्जित है, जिसको उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 20.12.2018 को अपीलान्ट कम 1 व 2 के पक्ष में स्वेच्छा से पंजीकृत वसीयत से वसीयत कर दिया था । वसीयत करने के उपरान्त श्योजी उर्फ शिवजी का निधन दिनांक 5.2.2019 को हो गया, उनके निधन के उपरान्त वसीयत के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मण्डाना के यहां फोती इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में खोलने हेतु मिले, आवेदन दिये, तथा स्टेट जरिये नायब तहसीलदार मण्डाना को धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया गया, लेकिन नायब तहसीलदार मण्डाना ने आरर्बीट्रेरी रूप से अपीलान्ट के उनके सामने उपस्थित न होने का अंकन करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में फोती इन्तकाल नहीं खोला, जबकि विवादित आराजी पर अपीलान्ट स्व0 श्योजी उर्फ शिवजी के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है, उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है, एक कुंआ सिंचाई हेतु खुदवा रखा है । स्व0 श्योजी उर्फ शिवजी के जीवन काल में भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट ने वादीगण अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखल नहीं दिया था, उन्हें स्व0 श्योजी के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत की पूर्ण जानकारी है । इन सब तथ्यों के होते हुए रेस्पोडेन्ट कम 14 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 13 के पक्ष में विवादित आराजी का फोती इन्तकाल संख्या 2122 दिनांक 4.2.2025 को खोलने में त्रुटि की है जबकि अपीलान्ट द्वारा स्व0 श्योजी की वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र के तहसीलदार मण्डाना को दिया गया, जिसे नायब तहसीलदार के नाम मार्क किया गया था, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर पुनः तहसीलदार लाडपुरा को आवेदन दिया गया जिस पर फोती इन्तकाल खोला गया, पेण्डिंग कर दिया गया । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दो प्रकार के उत्तराधिकारी बताये गये है, टेस्टमेंट्री व नोन टेस्टमेट्री, टेस्टमेंट्री में वो ही वारिस माने गये है जिनके पक्ष में खातेदार द्वारा अपने जीवन काल में अपनी खातेदारी की आराजी की वसीयत की गई हो, उनके पक्ष में वसीयत अनुसार फोती इन्तकाल तस्दीक किया जाता है । लेकिन अदालत मातहत ने भूमि पुश्तेनी मानकर नोन टेस्टामेट्री के पक्ष में यह इन्तकाल खोल दिया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है तथा इन्तकाल खोले जाने से पूर्व टेस्टमेट्री उत्तराधिकारियों को सुना नहीं गया, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिसके लिए न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे 2020–476 प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 2122 दिनांक 4.2.2025

को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी का वसीयत अनुसार फौती इन्तकाल अपीलान्ट के नाम खोले जाने की आज्ञा प्रदान की जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित वहस में कथन किया है कि अपीलान्ट ने जो अपील प्रस्तुत की है वह कानूनी मान्यता व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से नगण्य व शून्य है तथा उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 1,2,3 व 8 के पिताश्री शिवजीराम की पैतृक आराजी है । अपीलान्ट ने जो वसीयत दिनांक 28.12.2018 को मृतक श्योजी उर्फ शिवजीराम की स्वअर्जित आराजीयात बताते हुए आलेखित की गई थी, जो बिल्कुल गलत है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वसीयत अनुसार नामांतरकरण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने बावत पर दिनांक 15.01.2025 प्रकरण संख्या 75/2024 में निर्णय पारित किया है वह लिखित बहस के साथ प्रस्तुत है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें पटवारी हल्का रिपोर्ट व पटवार हल्का कसार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक वारिसान की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है और उक्त रिपोर्ट के साथ पटवारी ने आलेखित किया है कि श्योजीराम पुत्र अमरलाल की स्वअर्जित आय से प्राप्त की हुई आराजीयात नहीं है, जवकि उक्त भूमि पैतृक है और उक्त भूमि संवत 2055–58 में अमरलाल पुत्र लक्खा, जाति वंजारा की खातेदारी में थी और श्योजीराम से जो अपील में वसीयत करवाई है वह भूमि स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजीयात है । उक्त तथ्य को अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा से छिपाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त वारिसान को सुनकर और दस्तावेजात में दर्ज गवाहान को भी नोटिस जारी किये गये थे और श्योजीराम के वारिसान न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र एवं पर्चा बयान द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 28.12.2018 के संबंध में असहमति जताते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी और उक्त दस्तावेजात पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है तथा उक्त न्यायालय द्वारा बार बार अवसर देने के बाद भी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पंजीकृत वसीयतनामा तथा वारिसान द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान व गवाहान द्वारा प्रस्तुत पर्चा बयान, पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन कर तथा तथ्यों पर मनन करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो कानूनी प्रकियाओं के अनुसार ही नायव तहसीलदार मण्डाना द्वारा दिनांक 15.01.2025 के आधार पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, वह बिल्कुल सही है और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया है । क्योंकि अपीलान्ट ने श्योजीराम पिता अमरा की जो वसीयत कराई थी, वह भूमि पैतृक आराजीयात है तथा संवत 2055–2058 ग्राम कसार की जमाबन्दी साथ में संलग्न है व निर्णय दिनांक 15.01.2025 पत्रावली संख्या 75/2024 जिसके आधार पर इंतकाल तस्दीक हुआ है उसकी प्रति संलग्न है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणीकरण एवं सत्यापन अपीलान्ट द्वारा नहीं हुआ है, उक्त भूमि पैतृक भूमि है न कि स्वअर्जित । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो खारिज किया गया है वह बिल्कुल सही किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो इन्तकाल नं0 2122 दिनांक 4.2.2025 तहसीलदार मण्डाना द्वारा तस्दीक किया गया है वह राजस्व रिकार्ड में सही तरीके से इन्तकाल दर्ज किया गया है, उक्त इन्तकाल में उक्त न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम कसार के नामान्तरकरण संख्या 2122 आदेश दिनांक 3.2.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है कि ग्राम कसार में खाता संख्या 378 की खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.52 हे0 एवं खाता संख्या 387 की किता–2 की रकबा 0.78 हे0 भूमि शिवजीराम उर्फ श्योजी पुत्र अमरा के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी । खातेदार शिवजीराम द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपीलान्टगण के नाम की हुई थी, श्योजीराम जी के फोत होने पर नायब तहसीलदार को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा वसीयत के मुताबिक नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर सभी वारिसान के नाम फोती इन्तकाल स्वीकृत किया गया है । दुसरी ओर रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त वर्णित आराजीयात शिवजीराम जी की पुश्तैनी आराजीया थी,

तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र वसीयत के मुताबिक इन्तकाल खोलने का प्रस्तुत करने पर वसीयत के सभी गवाहों, एवं सभी विधिक वारिसान को वसीयत की सत्यता के लिए सुना गया, जिस अनुसार गवाहों द्वारा वसीयत के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की जाने व अपीलान्टगण उपस्थित नहीं होने से सभी वारिसान के नाम फोती इन्तकाल खोला गया है । चूंकि नायब तहसीलदार द्वारा वसीयत पर सुनवाई करके प्रकरण संख्या 75/2024 निर्णय दिनांक 15.01.2025 से निर्णय पारित किया है, जिसमें वसीयत का सत्यापन प्रमाणिकरण नहीं माना है, तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत के आदेश दिनांक 15.01.2025 के तथ्य को छुपाकर केवल नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई है, वसीयत की सुनवाई कर पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 को चैलेन्ज नहीं किया है ओर ना ही इस न्यायालय में इस आदेश दिनांक 15.01.2025 का उल्लेख अपील में किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की सुनवाई कर 135(2) एल आर एक्ट के तहत इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेवल नहीं होने स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2122 दिनांक 4.2.2025 वसीयत की सुनवाई के प्रकरण संख्या 75/2024 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2025 की पालना में खोला जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है । अपीलान्ट वसीयत के आदेश दिनांक 15.01.2025 को एवं विवादित अपीलाधीन इंतकाल को सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज करने के लिए स्वतंत्र है ।

8. निर्णय आज दिनांक09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा